

**कार्यालय,
राष्ट्रीय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ड्राप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मेली वास्तुनित्त जीक इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुभवीय प्रदान किए जाने को उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि अर्जित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को सट-3 में डिप्लोमा इन कर्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श कर निम्नवाट निर्णय लिया गया -

"पिछी श्रेण में स्थापित डिप्लोमा इन कर्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीपीसीआईओ द्वारा उन्हें पथपाठ अनुभवीय विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीपीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुभवीय विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अर्जित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीपीसीआईओ द्वारा प्रदान अनुभवीय विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीपीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुभवीय प्रवेश क्षमता	पीपीसीआईओ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुभवीय प्रवेश क्षमता
1	2001	कार्मैली डिप्लोमा इन कर्मेली वास्तुनित्त जीक इन्डिया, नई दिल्ली, लखनऊ, गुवा, उत्तर प्रदेश।	डिप्लोमा इन कर्मेली	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईआईटीआईओ/पीपीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1962, सेनेटर विनियमवारी-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30,180.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कर्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु. 48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कर्मेली पाठ्यक्रम से अतिरिक्त) हेतु रु. 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त से अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों/पत्रों प्रभावी होंगे, और अनुसूचित वर्गों/वर्गों को

जान आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्विचार किया जाता है, तो नीचे की नवीनताएं हो सकेंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्रविधिक शिक्षा समितियों तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों को विज्ञापित करने की शिष्टी में उल्लेख प्रवेश साक्षर को निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को स्वयं-सहाय पर निर्भर छात्रावदेश को अनुसार निश्चित एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को एम्पाइन्मेंट/प्री-पैरेंट/प्री-पैरेंट से आगामी वर्ष हेतु अनुसंधान प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश साक्षर द्वारा बनाई गई विधि/विधियों/प्रविधिक/साक्षर/निर्देशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा, उपाध्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्य तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्य द्वारा बनाई गई विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को विवेक बंधन होगी।
- ✓ विज्ञापित इन कार्यवाही पर्याप्तता को सम्बद्ध यदि भी-सी-आई, नई दिल्ली से अनुसंधान प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस सम्बद्ध में समस्त आवश्यकताएं सम्बद्ध का होगा और विधिक एवं नई शिष्टी को कार्यवाही के लिए संस्था को उल्लेखनीय होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश साक्षर को कोई भी प्राप्त किया जाता है तथा प्राप्त बाद के सम्बद्ध में का-व्यापक द्वारा किसी प्रकार की प्रविधिक समीक्षा आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रविधिक सम्बद्ध को करनी होगी।
- ✓ विज्ञापित इन कार्यवाही पर्याप्तता सम्बद्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्य प्रवेश साक्षर द्वारा प्रवेश एवं नई लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही करने होने को पूर्ण-विनियमों से अनुसंधान प्राप्त करने परिषद कार्यवाही को सम्बद्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यवाही को सम्बद्ध में अथवा संस्था स्तर पर शीटों प्रवेश) अनुसंधान नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उपाध्य प्रवेश साक्षर द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनताएं आगामी विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रविधिक, उपाध्य, साक्षर-सहाय, उपाध्य, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, आगामी सुनिश्चित आदि का विज्ञापित सम्बद्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञापित-प्रविधिक हेतु उपाध्य पर्याप्तता सम्बद्ध करने को साथ विज्ञापित होने को सम्बद्ध में समस्त आवश्यकताएं सम्बद्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो नई कि संस्था में प्रविधिक/सहायित पर्याप्तता को प्राप्त करने हेतु निर्देशित समिति को सम्बद्ध सम्बद्ध करनी नई प्रविधिक, सुनिश्चित, प्रवेश, उपाध्य, उपाध्य, उपाध्य, उपाध्य का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्याप्तता के सम्बद्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपाध्य का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपाध्य संस्था की सम्बद्धता सम्बद्ध विवेक करने की अनुसंधान की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किया जाने की शिष्टी में विज्ञापित अनुसंधान सम्बद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(सह अध्यक्ष शिक्षा) सचिव

पुस्तक- प्रविधिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद दिनांक: 15-08-2020

प्रविधिक-उपाध्य/निर्देशक, फार्म विपार्टमेंट एरॉनास काउन्सिल जी0 कॉलेज ऑफ एड्युकेशन एच0 ट्रेनिंग, कलकत्तापुर, पुरा, उपाध्य।

(सह अध्यक्ष शिक्षा) सचिव

कार्यालय,

प्रदेशीय प्रविधिक शिक्षा परिषद,

इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

संख्या:- प्राविप/परीषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञान:-

प्रदेशीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु क्वालिटी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश हमारा वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में जिन नए निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं इसमें अंकित प्रवेश हमारा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का शीट एवं नाम : 2091-PHARMA DEPT SR FOUNDATION JEE COLLEGE OF EDUCATION AND TRAINING, CHAKJAMALPUR, PURWA, UNNAO-2099825

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए.आइ.सी.टी.ई.टी./पी.सी.टी.आई.टी. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश हमारा	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश हमारा
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए.आइ.सी.टी.ई.टी./पी.सी.टी.आई.टी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था इलाहाबाद प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेंटेनर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैय्य करीव इ.सी. पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 46000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सत्रण द्वारा निर्णय किये जाने वाले सत्रणवली प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु कौशल का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कौशल की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमनकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के वितरण एवं छात्रों की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निरीक्षण आयोगों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम.एड.एन.सी.टी.ए.ए.पी.सी.ए.आई.ओ. में आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमनों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने में विवेक बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि बी.बी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निरीत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिक्रिया संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा प्राथमिक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु सहायित्वित प्रवेश होने के पूर्व बी.बी.आई.ओ. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (सहायित्वित के माध्यम से अथवा संस्था द्वारा सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं दायर की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निरीत नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-संशोधन हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर टीचर्स के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आयन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण टोपन यदि संस्था में भूमि, इमारत, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एम.एड.एन.सी.टी.ए.ए.पी.सी.ए.आई.ओ.परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमान/प्राप्त अनुशासनानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/8785

लखनऊ दिनांक: 20/09/2022

:कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2022-23 हेतु विप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2081-PHARMA DEPT SR FOUNDATION JEE COLLEGE OF EDUCATION AND TRAINING

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बनाये गये विधियों

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक स्वरूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(एफ०आर० खान)

सचिव

ए०सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/8788-8924

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिष्ठि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PHARMA DEPT SR FOUNDATION JEE COLLEGE OF EDUCATION AND TRAINING


(एफ०आर० खान)

सचिव